



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CG)

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 संख्या 25, 2009 द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by the central University Act. 2009 No. 25 of 2009)

नैक द्वारा A++ प्रत्यायित विश्वविद्यालय

NAAC A++ Grade Accredited Vishwavidyalaya

क्रमांक 199 / विकास / 2025

दिनांक: 3/3/2025

कार्यालयीय ज्ञाप

विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की स्थाई समिति की 198वीं बैठक दिनांक 30/01/2025 के विषय क्रमांक 3 में लिए गए निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय में गुरु घासीदास चेयर की स्थापना एवं चेयर की गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रो. भारती अहिरवार, फार्मसी विभाग को इनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक गुरु घासीदास चेयर प्रोफेसर नामित किया गया है।

आदेशानुसार,


कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
2. निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त अध्ययनशालाओं के अधिष्ठातागण/समस्त विभागाध्यक्षगण/समस्त नियंत्रक अधिकारीगण की ओर सूचनार्थ।
5. प्रो. भारती अहिरवार, फार्मसी विभाग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी, वेबसाइट सेल, को वेबसाइट के सूचना पटल पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
7. प्रभारी मीडिया प्रकोष्ठ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यालय प्रति।



सहायक कुलसचिव (विकास)